

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)


आदेश

विशेष सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-21 दिनांक 20.05.2013 एवं पत्रांक-35 दिनांक 01.08.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्यशीर्ष-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- लघुशीर्ष-200- अन्य कार्यक्रम-उपशीर्ष-0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड-N2235602000008 मांग संख्या-39, यूनिट कोड-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में क्रमशः प्राप्त आवंटन मो०7,50,000.00 (सात लाख, पचास हजार) एवं 3,00,000.00 (तीन लाख) रुपये को अंचल अधिकारी, चकिया एवं अंचल अधिकारी, हरसिद्धि को सड़क दूधटना में निम्नांकित विवरणी के अनुसार मृत व्यक्तियों के परिजनों को भुगतान हेतु निम्न प्रकार राशि उपावंटित की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	उपावंटित राशि	व्यय का विवरण
1	2	3	4
01.	अंचल अधिकारी चकिया	7,50,000.00	दिनांक 30.04.2013 को सड़क दूधटना में मृत राजकली देवी के परिजन-पन्ना लाल राम(पति), मृतक-सुब्बी कुमारी, राधिका कुमारी, राहुल कुमार एवं विकास कुमार के परिजन-पन्नालाल राम (पिता) ग्राम- परसौनी खेम, थाना-अंचल- चकिया हेतु (प्रत्येक को 1.50-1.50 लाख की दर से)
02.	अंचल अधिकारी हरसिद्धि	3,00,000.00	दिनांक 01.03.2012 को सड़क दूधटना में मृत अमरेन्द्र कुमार कुशवाहा, पिता-स्व० प्रहलाद प्रसाद सिंह, ग्राम-सरेया खूर्द, के परिजन-मु० असिया कुवर, (माता), मृतक- सोनालाल राम, पिता- स्व० रामाशीष राम, ग्राम-एराजी नन्हकार के परिजन मु० सुमन कुवर (पत्नी) तथा धर्मेन्द्र राम, पिता-बैद्यनाथ राम, ग्राम-विशुन पुरा हेतु (प्रत्येक को 1.00-1.00 लाख की दर से)

अंचल अधिकारी, चकिया एवं हरसिद्धि को निदेश दिया जाता है कि इसकी निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से करेंगे साथ ही इस राशि का विचलन कियी अन्य मद में नहीं किया जाय। व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला आपदा प्रबंधन शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-28.02.2014 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा उसे व्यय मानते हुए सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा एवं इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।


31/1/14

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 22 /


दिनांक 01-02-2014

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, चकिया एवं हरसिद्धि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला प्रबंधक, आई० टी० मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


31/1/14

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।